बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(चकबंदी निदेशालय)

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या–12/चक0मु0(स0नि0–01/10 ....1214....../चक0, पटना, दिनांक 24.12.2014

चकबंदी निदेशालय अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजन हेतु चयन समिति की अनुशंसा के आलोक में चयनित अभ्यर्थियों से प्राप्त एकरारनामा के आधार पर निम्नांकित कुल 23 (तेईस) आवेदकों को **लिपिक** पद के रूप में संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिये नियोजित करते हुये स्तंम्भ (5) के उल्लिखित चकबंदी कार्यालय में पदस्थापित कया जाता है।

क्रमांक	अनुक्रमांक	चयनित अभ्यर्थी का नाम	गृह जिला	पदस्थापित किये जाने वाले चकबंदी कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	212328	मो0 हैदर ईमाम	मुंगेर	रामगढ़ (कैमूर)	
2	203462	अरविन्द कुमार	गया	नोखा (रोहतास)	
3	203050	सहदेव प्र0 शर्मा	गया	ब्रहमपुर (बक्सर)	
4	208724	नरेन्द्र कुमार	दरभंगा	चेनारी (रोहतास)	
5	203534	विद्यानन्द यादव	भागलपुर	डुमराँव (बक्सर)	
6	202304	दीपक कुमार यादव	कटिहार	सिमरी (बक्सर)	
7	203891	अजय कुमार	कटिहार	राजपुर (बक्सर)	
8	200297	चन्द्रशेखर प्र0 सिन्हा	नवादा	इटाढ़ी (बक्सर)	
9	200269	रवीन्द्र प्र0 यादव	मधेपुरा	तरारी (भोजपुर)	
10	204025	दिनेश ठाकुर	सहरसा	नावानगर (बक्सर)	
11	205639	सितांशु कुमार जरूहार	पटना	कोईलवर (भोजपुर)	
12	201770	दिलीप कुमार मेहता	कटिहार	भभुआ (कैमूर)	
13	212482	गौरी कुमारी	कटिहार	आरा सदर (भोजपुर)	
14	208579	अशोक कुमार सिंह	कटिहार	दावथ (रोहतास)	
15	209867	मंजूर आलम	कटिहार	सहार (भोजपुर)	
16	202724	अजय कुमार श्रीवास्तव	कटिहार	शाहपुर (भोजपुर)	
17	202927	मो0 रकीब	कटिहार	चरपोखरी (भोजपुर)	
18	213997	मोहम्मद शमसेर	कटिहार	पीरो (भोजपुर)	
19	203887	चन्द्रभूषण मंडल	कटिहार	काराकाट (रोहतास)	
20	203215	भूपेन्द्र नारायण पंडित	कटिहार	नासरीगंज (रोहतास)	
21	203525	मो0 कुर्बान	सुपौल	दुर्गावती (रोहतास)	
22	206823	मो0 खालिक	कटिहार	जगदीशपुर (भोजपुर)	
23	202656	श्याम प्रसाद यादव	सहरसा	मोहनियाँ (कैमूर)	

उपरोक्त तालिका में अंकित सभी चयन कर्मियों को (संविदा के आधार पर) निम्नांकित शर्त्तो के अधीन नियोजित किया जाता है।

- यह नियोजन निम्नांकित शर्त्तो के अधीन की जाती है :–

1. यह नियोजन संविदा के आधार पर केवल 1 (एक) वर्ष के लिये है। इस बीच यदि विभाग द्वारा नियमित नियुक्ति होती है, तो संविदा पर नियोजित कर्मियों की नियुक्ति समाप्त की जा सकती है। कार्य

संतोषजनक होने पर नियोजन की अवधि विस्तार की जा सकती है। कार्य असंतोषप्रद पाये जाने पर इसके पूर्व भी सेवा समाप्त की जा सकती है।

2. संविदा के आधार पर नियोजित व्यक्ति को मासिक 8000/– **(आठ हजार) रूपये** मात्र मानदेय(पारिश्रमिक) के रूप में देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई सुविधा, राशि तथा यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
3. इस आधार पर भविष्य में नियमित नियुक्ति हेतु अथवा अन्यथा कोई दावा अनुमान्य नहीं होगा।
4. संविदा पर नियोजित व्यक्ति की सेवा स्थानान्तरणीय नहीं होगी। आवश्यकतानुसार चकबंदी निदेशालय, बिहार, पटना को नियोजित व्यक्ति को स्थानान्तरण करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
5. नियोजन के पूर्व नियमानुसार स्वास्थ्य प्रमाण पत्र (मूल प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
6. यह नियोजन बिल्कुल हीं अस्थायी है। नियोक्ता द्वारा किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के सेवा समाप्त की जा सकेगी।
7. नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पूर्व आवेदन के साथ संलग्न कागजातों/प्रमाण–पत्रों के सत्यापन में यदि त्रुटि पायी जाती है तो उनका नियोजन रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
8. नियोजित कर्मी उपरोक्त एकरारनामा के किसी भी शर्त्त का उल्लंघन करेंगे तो एकरारनामा स्वतः समाप्त समझा जायेगा। साथ हीं नियोजित कर्मी द्वारा कार्य में अनियमितता बरतने एवं गम्भीर शिकायत पाये जाने पर नियमानुसार सेवा समाप्त कर दी जायेगी।
9. उपरोक्त नियोजित कर्मियों का पदस्थापन बाद में किया जायेगा।
10. संविदा के आधार पर नव नियुक्ति कर्मियों को पदस्थापन के बाद नये स्थान पर योगदान की तिथि से मानदेय(पारिश्रमिक) का भुगतान किया जायेगा।
11. संबंधित चकबंदी पदाधिकारियों को निदेशित किया जाता है कि वे संविदा के आधार पर नव नियोजित कर्मियों से एकरारनामा पर हस्ताक्षर कराने के पश्चात् हीं उनका योगदान स्वीकृत करेंगे।
12. नव नियोजित कर्मियों का वेतन शीर्ष 28 01, व्यवसायिक एवं विशेष सेवायें मद से दिया जायेगा।

निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।

आदेश ज्ञापांक....1214..../चक0 पटना, दिनांक....24.12.2014

प्रतिलिपि :– उप निदेशक, चकबंदी, भोजपुर/रोहतास/सभी चकबंदी पदाधिकारी (पुराने शाहाबाद जिले के सभी अंचल/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर/बक्सर/रोहतास/कैमूर/ /संबंधित कर्मी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक, चकबंदी
बिहार, पटना।